



## ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या -01, सैक्टर-के0पी-4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश  
website : [www.greaternoidaauthority.in](http://www.greaternoidaauthority.in)

पत्रांक-ग्रेनो/बिल्डर्स/2024/1114  
दिनांक- 09, जुलाई, 2024

सेवा में,

M/s Sam India Abhimanyu Housing  
Plot No. GH-02, Sector 16C,  
GREATER NOIDA WEST  
Gautam Buddh Nagar U.P. - 201 308

विषय-बिल्डर्स भूखण्ड संख्या जीएच-02, सैक्टर 16 सी के सापेक्ष प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर की पृथक-पृथक गणना करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 03.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने आपके पक्ष में आवंटित बिल्डर्स भूखण्ड संख्या जीएच-02, सैक्टर 16सी के सापेक्ष शासनादेश संख्या 7774/77-4-2023- 6011/2023 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से निर्धारित नीति/पैकेज के अंतर्गत की गई गणना को प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर के मद में पृथक-पृथक गणना करते हुए अतिदेय धनराशि से अवगत कराने का अनुरोध किया है, ताकि आप अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि के सापेक्ष बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकें । इस सम्बन्ध में भूखण्ड के सापेक्ष गणना उपरान्त प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर एवं वार्षिक लीजरेंट के मद में निम्नानुसार धनराशि आगणित होती है:-

1. प्रीमियम के मद में देयता शून्य है ।
2. अतिरिक्त प्रतिकर के मद में दिनांक 15.07.2024 तक रू0 26,43,37,426/- की देयता है ।
3. वार्षिक लीजरेंट के मद में दिनांक 15.07.2024 तक रू0 81,50,143/- की देयता है ।

उपरोक्त गणना सम्परीक्षा के अधीन है । सम्परीक्षा उपरान्त उक्त धनराशि में यदि कोई अंतर आता है तो आपको तदनुसार धनराशि जमा करानी होगी ।



भवदीया,

*Signature*  
प्रबंधक (बिल्डर्स)

